प्रेस नोट

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 17.08.2025

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 132 वाहनों से 2,09,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 17.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 132 वाहनों से 2,09,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

*

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा झपटमारी के मामले से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को 06 अदद एण्ड्रायड मोबाइल फोन के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आज दिनाँक 17.08.2025 को 01 नफर अभियुक्त नाम पता शाहरुख पुत्र इमरान निवासी गुलरिहा शेखापुर थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर हा0मु0 नम्बर 2727 शान्ति नगर रोड देवानन्द होटल न्यू आजाद नगर भिवंडी डाण्डे करवाडी थाने महाराष्ट्र को झपटमारी के 06 अदद एण्ड्रायड मोबाईल के साथ एचआरपीजी कालेज के निकट स्थिल ओपेन जिम के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनाँक 19.02.2025 को वादी श्री आनन्द कुमार सिंह पुत्र रामजोखन सिंह निवासी स्टेशन पुरवा खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर बावत मोटर साईकिल पर सवार दो अज्ञात लोगों द्वारा मोती चौराहा रोड नियर जूनियर हाई स्कूल शिव मन्दिर के पास वादी का मोबाईल छपट्टा मारकर झीन लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर मु0अ0सं0 148/2025 धारा 304(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. शाहरुख पुत्र इमरान निवासी गुलरिहा शेखापुर थाना मेहदावल जनपद सन्तकबीर नगर हा0मु0 नम्बर 2727 शान्ति नगर रोड देवानन्द होटल न्यू आजाद नगर भिवंडी डाण्डे करवाडी थाने महाराष्ट्र।

बरामदगी का विवरणः-

1. छिनैती के 06 अदद एण्ड्रायड मोबाइल फोन।

पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त से बरामद मोबाईल के सम्बन्ध पूछताछ की गयी तो बताया कि मैं मुम्बई और खलीलाबाद में सड़क किनारे मोबाईल से बात कर रहे लोगों का मोबाईल झपट्टा मारकर छिन लेता हूँ और ग्राहक खोजकर बेचे देता हूँ। यह सभी मोबाईल जो मेरे पास से मिले हैं उसको मैने मुम्बई तथा खलीलाबाद मे लोगो के बात करते समय झपट्टा मारकर छीना था तथा बेचने हेतु ग्राहक खोज रहा था।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

उ0नि0 श्री संजय कुमार यादव, हे0का0 आकाश कुमार, का0 श्याम नरायन।